



UPKJ010034742024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) कक्ष सं०-1,
कन्नौज।

उपस्थित- श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)
विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-833/2024

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोजन पक्ष।

बनाम

विवेक कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह,

निवासी-ग्राम जरारा थाना सौरिख, जनपद कन्नौज।

.....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या-900/2021

धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003

थाना-एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के मुकदमा अपराध संख्या-900/2021 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्त विवेक कुमार के विरुद्ध धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 का अपराध आरोपित है।
2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी अवर अभियंता सुनील कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर (प्रदर्श क-3) के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 16.07.2021 को समय लगभग 10.15 बजे मोहल्ला/गांव ग्राम जरारा जाफराबाद, सौरिख में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बाकयेदार विद्युत उपभोक्ता के पूर्व में बकाया धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जांच की गयी जांच टीम में सुनील कुमार अवर अभियंता, संतोष कुमार टी.जी.-2 समस्त लाईन स्टाफ के साथ ग्राम जरारा पोस्ट जाफराबाद पहुंचे। मौके पर अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम जरारा पोस्ट जाफराबाद, सौरिख संयोजन संख्या-781705707953 पर बकाया 2,02,960/-रुपये का संयोजन चेक किया गया तो उक्त अभियुक्त द्वारा पूर्व में बकाये पर विच्छेदित संयोजन मौके पर बगैर बकाया भुगतान किये अवैध रूप से जुड़ा एवं चालू पाया गया। अतः मुल्जिम उपरोक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए।
3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त विवेक कुमार के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त दिनांक 07.08.2025 को अभियुक्त विवेक कुमार के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के विरुद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।
4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा सुनील कुमार अवर अभियंता को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में चेकिंग रिपोर्ट को प्रदर्श क-1, विच्छेदन स्लिप प्रदर्श क-2 एवं तहरीर रिपोर्ट

प्रदर्श क-3 प्रदर्शांकित किया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है-

7. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा सुनील कुमार अवर अभियंता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.07.2021 को समय लगभग 10:15 बजे मोहल्ला ग्राम जरारा पोस्ट जाफराबाद थाना सौरिख में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें बकायेदार विद्युत उपभोक्ता का पूर्व में बकाया धनराशि पर विच्छेदित संयोजन की जाँच की गयी। मौके पर उपभोक्ता विवेक कुमार का संयोजन संख्या-781705707953 का बकाया धनराशि मु. 2,02,960/-रूपए का संयोजन चेक किया गया। उपभोक्ता का पूर्व में बकाए पर विच्छेदित संयोजन मौके पर बगैर बकाया भुगतान किए अवैध रूप से जोड़ा व चालू पाया गया। घटना स्थल पर चेकिंग रिपोर्ट तैयार की गयी, जो पत्रावली में मौजूद है जिसपर प्रदर्श क-1 डाला गया। पूर्व में संयोजन विच्छेदन दिनांक 17.06.2021 बकाया धनराशि मु. 2,02,960/-रूपए पर की गयी थी। विच्छेदन स्लिप पत्रावली पर मौजूद है जिसपर प्रदर्श क-2 डाला गया। घटनास्थल से वापस उपकेन्द्र सौरिख सकरावा वापस कार्यालय आकर अभियुक्त विवेक कुमार के विरुद्ध धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम के तहत कम्प्यूटर द्वारा तहरीर प्रोफार्मा कराकर व अपने हस्तलेख में अभियुक्त का नाम पता भरकर अपने हमराही राहुल सिंह उपखण्ड अधिकारी, संतोष कुमार पाल व अवधेश लाइनमैन को तहरीर पढ़कर सुनायी व उनके हस्ताक्षर करवाए व स्वयं तहरीर पर हस्ताक्षर करके थाना एण्टी पावर थेफ्ट पर तहरीर देकर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। पत्रावली में मौजूद मूल तहरीर पर प्रदर्श क-3 डाला गया। इस मुकदमे के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था व मेरी निशानदेही पर दरोगाजी ने नक्शा नजरी तैयार किया था।

साक्षी पी०डब्लू०-1 वादी मुकदमा सुनील कुमार अवर अभियंता ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्त विवेक कुमार द्वारा अपना बकाया विद्युत बिल शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। विभाग को इस आपराधिक वाद को समाप्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू-1 के बयान से यह विदित होता है कि अभियुक्त विवेक कुमार द्वारा अपना बकाया विद्युत बिल शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। विभाग को इस आपराधिक वाद को समाप्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य साक्ष्य पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित वादी मुकदमा के साथ-साथ अन्य शेष साक्षीगणों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसप्रकार अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा-138(1)(बी) विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू-1 वादी मुकदमा सुनील कुमार अवर अभियंता के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

9. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

10. अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्त के विरुद्ध झूठी गवाही दी गई। अभियुक्त द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्त पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

12. धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

13. धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्य से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

14. पत्रावली में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा निर्गत पत्रांक दिनांकित 07.08.2025 में यह अंकित है कि उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र वीरेन्द्र, निवासी जरारा, जाफराबाद, थाना सौरिख, जनपद कन्नौज ने अपना बकाया बिल 1,30,211/-रूपये रसीद संख्या 35248930072116160002, 444497699211 दिनांक 30.07.2021, 15.07.2024 व शमन शुल्क 26,000/-रूपये रसीद संख्या 553398658266 व निर्धारण शुल्क 2,852/-रूपये रसीद संख्या 553980960684 के द्वारा दिनांक 03.07.2025 को विद्युत विभाग में जमा कर दिया है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य धनराशि जमा हो चुकी है। इस आपराधिक वाद को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

15. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र विचारण वाद संख्या-833/2024 राज्य बनाम विवेक कुमार अन्तर्गत धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 बाबत मुकदमा अपराध संख्या-900/2021 थाना-एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त विवेक कुमार, आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-833/2024 बाबत मुकदमा अपराध संख्या-900/2021, थाना-एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 से अभियुक्त विवेक कुमार को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रुपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

दिनांक-15.04.2026

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code- UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक-15.04.2026

(हरि प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।

J.O.Code- UP6489

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०) कक्ष सं०-1, कन्नौज।

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-833/2024

उत्तर प्रदेश सरकार प्रति विवेक कुमार

दिनांक-15.04.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर उपस्थित अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान ए.डी.जी.सी.। पत्रावली बहस हेतु नियत है। उभय पक्षों को सुना।

पत्रावली वास्ते आदेश लंच बाद को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।

पत्रावली लंच बाद आदेशार्थ पेश हुयी।

आदेश हआ कि :- विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या-833/2024 बाबत मुकदमा अपराध संख्या- 900/2021, थाना-एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत धारा-138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 से अभियुक्त विवेक कुमार को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रुपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।